

## (ब) योजना हेतु पात्रता :—

(i) योजना के अंतर्गत औद्योगिक संस्थान में कार्यरत श्रमिक जो मण्डल के अंशदायी हैं, की एक पुत्री जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक की हो को पात्रता होगी।

## (स) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—

(i) आवेदक को विवाह के प्रस्तावित तिथि के एक माह पूर्व आवेदन करना होगा।

(ii) आवेदन पत्र में हस्ताक्षर आवेदक श्रमिक अथवा श्रमिक की पुत्री का होना चाहिए।

(iii) निर्धारित प्रारूप में आवेदन श्रम कल्याण मण्डल कार्यालय में नियोक्ता के माध्यम से सम्यावधि के भीतर प्रस्तुत करना होगा।

## (द) अन्य विवरण :—

(i) इस योजना के संबंध में कोई विसंगति होने पर मण्डल के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. डॉ. कुंजाम, उप-सचिव।

**खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग**  
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2010

क्रमांक एफ 1-19/खाद्य/2001/29.—छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहोलसिंग कार्पोरेशन एक्ट, 1962 के अध्याय तीन की कंडिका-20 (2) के तहत् राज्य शासन एतद्वारा श्री अशोक बजाज, चौपाल, सिविल लाईन, रायपुर को छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम के अध्यक्ष पद पर नियुक्त करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस. एल. आदिले, अवर सचिव।

**संस्कृति विभाग**  
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ-1-1/30/सं/2006

रायपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2010

**पं. सुन्दरलाल शर्मा सम्मान**

प्रस्तावना :— छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग ने साहित्य/आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में उपलब्ध तथा दीर्घ साधना को सम्मानित करने और इनमें कीर्तिमान विकसित करने की दृष्टि से राज्य स्तरीय सम्मान की स्थापना की है। इस पुनीत कार्य में व्यक्तियों के योगदान को प्रोत्साहित करने, मान्यता देने एवं प्रतिष्ठा मंडित करने के उद्देश्य से राज्य शासन ने साहित्य/आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों/संस्थाओं को “पं. सुन्दरलाल शर्मा सम्मान” देने का निर्णय लिया है।

इस सम्मान के विनियमन एवं प्रक्रिया निर्धारण हेतु निम्नानुसार नियम बनाये जाते हैं—

1. **संक्षिप्त नाम।—**
  - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम “पं. सुन्दरलाल शर्मा सम्मान नियम-2010” है।
  - (2) ये नियम सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में शासन द्वारा प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होंगे।
2. **परिभाषा।—** इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:—
  - अ. “व्यक्ति” से तात्पर्य एक व्यक्ति से है।
  - ब. “निर्णायक मंडल” से अभिप्राय इन नियमों के नियम-4 के अंतर्गत गठन किये जाने वाले निर्णायक मंडल (जूरी) से है।
3. **सम्मान का स्वरूप।—** साहित्य/आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एक व्यक्ति/संस्था को प्रतिवर्ष “पं. सुन्दरलाल शर्मा सम्मान” राशि रूपये 2 लाख (रुपये दो लाख) नगद एवं प्रशस्ति पत्र के रूप में दी जायेगी। सम्मान, साहित्य/आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एक व्यक्ति/संस्था को प्रत्येक वर्ष राज्य शासन द्वारा नियुक्त निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा चयन होने पर दिया जाएगा।
4. **निर्णायक मंडल का गठन।—** राज्य शासन, साहित्य/आंचलिक साहित्य क्षेत्र के प्रतिष्ठित साहित्यकारों का एक निर्णायक मंडल (जूरी), जो अधिकतम पांच सदस्यों होगी, का गठन करेगा।
5. **निर्णायक मण्डल की शक्तियाँ।—**
  1. निर्णायक मण्डल की अनुशंसा पर अंतिम रूप से चयनित एक व्यक्ति/संस्था की घोषणा राज्य शासन द्वारा की जाएगी।
  2. सम्मान के चयन के संबंध में कोई आपत्ति अथवा अपील स्वीकार नहीं की जावेगी।
  3. संबंधित सम्मान वर्ष के लिए प्राप्त प्रविष्टियों के अलावा निर्णायक मण्डल (जूरी) स्वविवेक से ऐसे व्यक्ति/संस्था के नाम पर विचार कर सकेगा, जिन्हें वह सम्मान के उद्देश्यों के अनुरूप पाए।
  4. प्रत्येक वर्ष के सम्मान के लिए एक व्यक्ति/संस्था का चयन होगा।
  5. निर्णायक मण्डल (जूरी) की बैठक की सम्पूर्ण कार्यवाही गोपनीय रहेगी एवं उसके द्वारा सर्वानुमति से की गई लिखित अनुशंसा के अलावा बैठक के दौरान हुए विचार-विमर्श का कोई लिखित अभिलेख नहीं रखा जावेगा।
  6. निर्णायक मण्डल के माननीय सदस्यों को चयन प्रक्रिया के लिए आमंत्रित किये जाने पर उन्हें राज्य के वरिष्ठ अधिकारी ग्रेड-ए के संमकक्ष श्रेणी में यात्रा करने तथा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होगा अर्थात् माननीय सदस्यों को वायुयान से यात्रा करने का अधिकार प्राप्त होगा तथा इसका भत्ता प्राप्त होगा।
6. **चयन की प्रक्रिया :—** सम्मान के लिए उपयुक्त व्यक्ति/संस्था के चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :—
  1. जिस वर्ष के लिए सम्मान प्रदान किया जाना है उस वर्ष के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित करने हेतु संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व द्वारा प्रमुख समाचार-पत्रों में राज्य शासन की ओर से जनसंपर्क संचालनालय के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित कराया जाकर विषय विशेषज्ञों से भी नियमानुसार प्रविष्टियां आमंत्रित की जावेगी। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियां विचार के लिए मान्य नहीं की जावेगी। विज्ञप्ति जारी करने के समय आदि में राज्य शासन आवश्यक होने पर परिवर्तित कर सकेगा।
  2. प्रविष्टि संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व को प्रस्तुत की जावेगी। प्रविष्टि निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रस्तुत की जाए :—
    - क. व्यक्ति का पूर्ण परिचय, पता व फोटोग्राफ़।
    - ख. साहित्य/आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में किये गये कार्यों की जानकारी।

- ग. यदि कोई अन्य सम्मान प्राप्त किया हो, तो उसका विवरण.
- घ. साहित्य/आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य की जानकारी व प्रमाण एवं उत्कृष्ट कार्य करने के संबंध में प्रकाशित सामग्रियों की छायाप्रति. (उपलब्धतानुसार)
- च. साहित्य/आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के संबंध में प्रख्यात पत्र/पत्रिकाओं/ग्रंथ के मुख्यपृष्ठ की फोटो प्रति (सत्यापित) यदि कोई हो.
- छ. चयन होने की दशा में सम्मान ग्रहण करने के संबंध में संबंधित व्यक्ति की लिखित सहमति.
3. अ. चयन के लिए नियमों में निर्दिष्ट मानदण्डों के अलावा कोई और शर्तें लागू नहीं होंगी.
- ब. एक बार चयन नहीं होने का अभिप्राय यह नहीं होगा कि संबंधित व्यक्ति का कार्य दोबारा सम्मान हेतु विचारणीय नहीं है.
4. प्रविष्टि में अंतर्निहित तथ्यों/जानकारी के अलावा अन्य पश्चात्वर्ती पत्र-व्यवहार पर सम्मान के संबंध में कोई विचार नहीं किया जावेगा।
5. प्रविष्टि में दिये गये तथ्यों/निष्कर्षों/प्रमाणों का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टि प्रस्तुतकर्ता का रहेगा। इस मामले में राज्य शासन किसी भी विवाद में पक्ष नहीं माना जाएगा।
6. निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त प्रविष्टियों को संबंधित सम्मान वर्ष की पंजी में निम्नांकित प्रपत्र में समस्त प्रविष्टियों को पंजीकृत किया जावेगा—

क्रमांक	सम्मान हेतु व्यक्ति का नाम तथा पता	प्रविष्टिकर्ता का नाम, पद एवं पता	प्राप्त कागजातों के कुल पृष्ठों की संख्या	अन्य विवरण
1	2	3	4	5

7. पंजीयन के पश्चात् संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व के द्वारा निम्नांकित शीर्षकों में प्रत्येक प्रविष्टि के संबंध में निर्णयिक मंडल की बैठक के लिए संक्षेपिका तैयार करवायी जावेगी—
1. व्यक्ति का नाम एवं पता
  2. प्रस्तावक
  3. साहित्यकार की उपलब्धियों का संक्षिप्त व्यौरा
  4. प्राप्त पुराकार/रागान
  5. प्रमाण/टिप्पणियाँ
  6. सम्मान ग्रहण करने वाले सहमति हैं/नहीं हैं।
7. चयन का मानदण्ड.—सम्मान के लिए साहित्य/आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति के चयन के लिए निम्नलिखित मानदण्ड रहेंगे :—
1. सम्मान के लिए निर्णयिक मंडल (जूरी) द्वारा ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जावेगा जिन्होंने समर्पित भाव से साहित्य/आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में दीर्घकालीन उत्कृष्ट सेवा की हो।
  2. निर्णयिक मण्डल द्वारा भूतकालिक एवं वर्तमान दोनों प्रकार के साहित्य/आंचलिक साहित्य कार्यों का मूल्यांकन होगा।
  3. व्यक्ति अथवा प्रस्तावक द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि सम्मान के लिए प्रस्तावित व्यक्ति ने साहित्य/आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में दीर्घकालीन सेवा की है।

4. सम्मान चूंकि साहित्य/आंचलिक साहित्य के समग्र योगदान के आधार पर दिया जाएगा इसलिए साहित्य/आंचलिक साहित्य के उत्कृष्ट कार्य करने वाले द्वारा निजी स्तर पर किये गये योगदान के संबंध में पर्याप्त प्रमाण होना आवश्यक है।
5. यह भी देखा जाएगा कि साहित्य/आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में नयी पद्धति और नये क्षेत्र को किस सीमा तक और कितनी सघनता से अपनाया गया है।
6. निर्णायक मण्डल के अशासकीय सदस्य के परिवारजन उस वर्ष के सम्मान के लिए अपनी प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं कर सकेगी, जिस वर्ष के सम्मान के निर्णायक मण्डल में व्यक्ति से संबंधित व्यक्ति सदस्य है।
7. यदि किसी शासकीय अधिकारी/कर्मचारी ने राज्य स्तरीय सम्मान/पुरस्कार प्रदान करने हेतु स्वयं ही विभाग में आवेदन प्रस्तुत किया हो अथवा उसके नाम का प्रस्ताव उसके संबंधित कार्यालय के माध्यम से विभाग में प्राप्त हुआ हो अथवा अन्य व्यक्ति/कार्यालय/संस्था द्वारा उसका नाम सम्मान/पुरस्कार देने हेतु प्रस्तावित किया गया हो, तो उक्त सभी स्थितियों में संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा ऐसे शासकीय अधिकारी/कर्मचारी का प्रकरण नियमों के तहत गठित निर्णायक मण्डल (जूरी)/चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। सामान्य प्रशासन विभाग की अनुमति प्राप्त होने पर ही उसका प्रकरण विभाग द्वारा निर्णायक मण्डल (जूरी)/चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
8. यदि निर्णायक मण्डल (जूरी)/चयन समिति द्वारा स्वतः ही स्व-विवेक से विचार करते हुए किसी शासकीय अधिकारी/कर्मचारी को राज्य स्तरीय सम्मान/पुरस्कार देने के लिए चयनित किया जाना हो तो उसके चयन के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश प्राप्त करना आवश्यक होगा।
9. सम्मान की घोषणा.— निर्णायक मण्डल अपना निर्णय गोपनीय रूप से संस्कृति विभाग को प्रस्तुत करेगा तथा राज्य शासन द्वारा सम्मान के लिए चयनित व्यक्ति/संस्था की औपचारिक घोषणा की जावेगी।
10. व्यय की संपूर्ति.— सम्मान एवं अलंकरण समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय की पूर्ति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा की जायेगी।
11. नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन.— राज्य शासन, संस्कृति विभाग को सम्मान नियमों में आवश्यकता अनुसार संशोधन एवं परिवर्तन करने का अधिकार होगा। इन नियमों में अंतर्निहित प्रावधान के संबंध में सचिव, संस्कृति विभाग की व्याख्या अंतिम मानी जावेगी, ऐसे मामले जिनका नियमों में उल्लेख नहीं है, को निराकरण के अधिकार भी सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग में वेष्ठित होंगे।
12. अन्य दायित्वों का निर्वहन.— चयनित व्यक्ति के साहित्य/आंचलिक साहित्य कार्य आदि के संबंध में समारोह के समय एक सचिव स्थानिक जारी की जावेगी जिसमें सम्मान के उद्देश्य, स्वरूप, सम्मान प्राप्त के विवरण आदि का समावेश होगा।

### दाऊ मंदराजी सम्मान

**प्रस्तावना :**— छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग ने लोक कला/शिल्प के क्षेत्र में उपलब्धि तथा दीर्घ साधना को सम्मानित करने और इनमें कीर्तिमान विकसित करने की दृष्टि से राज्य स्तरीय सम्मान की स्थापना की है। इस पुनीत कार्य में व्यक्तियों के योगदान को प्रोत्साहित करने, मान्यता देने एवं प्रतिष्ठा मंडित करने के उद्देश्य से राज्य शासन ने लोक कला/शिल्प के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों/संस्थाओं को “दाऊ मंदराजी सम्मान” देने का निर्णय लिया है।